न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 08/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/122)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. मखन सिंह पुत्र अमीर सिंह जाति रायसिख निवासी 48 एफ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. बक्सो बाई पत्नी दर्शन सिंह जाति रायसिख निवासी 48 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-17.05.2023

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग, अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

--निर्णय-- दिनांक :15.03.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 70/66 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 15, 16 सालम, किला नम्बर 25/2 आधा, मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 24/2 के 0.059 हैक्टेयर नहरी भूमि, मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 11/2 के 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 के 0.253 है0, किला नम्बर 13/1 के 0.190 है0 कुल 1.312 है0 नहरी भूमि मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 6 के 0.253 है0, किला नम्बर 7/1 के 0.165 है0, किला नम्बर 14/1 के 0.202 है0, किला नम्बर 17/1 के 0.228 है0, मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 18/1 के 0.111 है0, किला नम्बर 23 सालम, किला नम्बर 24/1 के 0.100 है0 कुल 1.312 है0 नहरी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। प्रार्थी को अपने चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नं0 15, 16, 25 के रकबा को काश्त करने के लिए गांव की आबादी से भारतमाला रोड से होते हुए मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 17 से होता हुआ अपनी भूमि के किला नम्बर 16 में प्रवेश कर अपनी भूमि को काश्त करता है। उक्त रास्ता पिछले करीब 25-30 वर्षो से चला आ रहा है जो आज भी मौका पर चालू है। उपरोक्त मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 17 अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में है, इसी बात का अनुचित फायदा उठाकर अप्रार्थीगण संख्या 1, प्रार्थी को उसकी भूमि में काश्त करने के लिए आने जाने नही दे रही है और अब वह सरेआम कह रही है कि वह उक्त रास्ता को तारबंदी कर या खडडे कर उपरोक्त रास्ता को अवरोध कर देगी, यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, तो प्रार्थी अपनी भूमि में काश्त करने के लिए नही आ जा पायेगा, जिससे प्रार्थी की मौका पर खडी फसल सूख जायेगी और प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी को उक्त रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है और ना ही प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प उपलब्ध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए पेश करके अर्ज है कि अप्रार्थीगण की चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्बत् 2073 ता 2076 के खाता सख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 17 की दक्षिण बट के साथ-साथ दो बिस्वा रास्ता मंजूर किये जाने के आदेश दिये जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] प्रार्थी कभी भी मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 17 में होते हुए अपनी भूमि [illegible] नम्बर 16 में प्रवेश नहीं किया और ना ही उक्त रास्ता पिछले करीब 25-30 वर्षो से [illegible] है। किला नम्बर 17 में कोई रास्ता कभी चालू था और ना ही चालू है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए [illegible] सारे विकल्प उपलब्ध है, परन्तु प्रार्थी जान बुझकर मुझ वृद्ध अप्रार्थिया को तंग व परेशान [illegible] के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। व्यवहारिक एंव कानूनी तौर पर मुरब्बा के बीच में से रास्ता मंजूर किया जाना कतई उचित नहीं है, इससे भूमि टूकडो में विभाजित हो जावेगी, तथा भूमि की किमत पर बहुत बुरा प्रभाव पडेगा, इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मंजूर किये जाने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2023/823 दिनांक 22.06.2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एतराज जाहिर किया कि रिपोर्ट तहसीलदार स्पष्ट नहीं है, पुनः रिपोर्ट तलब की जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त हो चुकी है, जो स्पष्ट है। पुनः रिपोर्ट मंगवाई जानी उचित नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत एतराज रिपोर्ट तहसीलदार खारिज किया जाता है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक 9 एफ ए व पटवारी हलका लालबाई द्वारा चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 20 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 16 तक पहुंचने के लिए चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 17 में से रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी के पास मुरब्बा नम्बर 15, 16, 25/2 की एकल खाता की भूमि में आने-जाने हेतु कोई रिकॉर्डड रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यातिंक है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार हैः-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।'' भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 15,16,25/2 के अभिलिखित खातेदार है तथा मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 17 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ.नि. क्षेत्र की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपने रकबा चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 15, 16, 25/2 को काश्त करने के लिए अन्य तीन वैकल्पिक मार्ग दर्शाए है। परन्तु अन्य तीन वैकल्पिक मार्ग के काश्तकारों को बतौर अप्रार्थीगण संयोजित नहीं किया गया है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दर्ज आपत्तियां निराधार एंव सारहीन होने से अस्वीकार्य है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:08 IST
Reason: SelfAttested

आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में नि[illegible]तः [illegible]ा पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] में स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का ला[illegible] भू.अ.नि. [illegible]फ ए, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 17 की दक्षिणी बट के [illegible]-साथ दो बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इस रास्ता की 0.0253 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी बक्सो बाई पत्नी दर्शन सिंह को 0.0253 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 24/2 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

(श्योराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रीडर/2024/86 **दिनांक :– 15.03.2024**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 08/2023 अनवान मखन सिंह बनाम बक्सो बाई आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 15.03.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 17 की दक्षिणी बट के साथ-साथ दो बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इस रास्ता की 0.0253 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी बक्सो बाई पत्नी दर्शन सिंह को 0.0253 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 24/2 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:19:08 IST
Reason: SelfAttested